प्रेषक,

संख्याः-331 ई-मेल /6-77 अधि0(2018-19

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1.आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/
कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

दिनांकः 08 मई, 2019।

विषय- आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 'आय आगणन मानक'' का निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-302/18(1)/2019-07(6)/2019 दिनांक 07 मई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राजस्व परिषद, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, कुमायूँ मण्डल नैनीताल एवं समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित है।

उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जनपद स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि

भवदीया,

(विप्रा त्रिवेदी)
उप राजस्व आयुक्त(भू.व्य.)

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, 39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

उप राजस्व आयुक्त(भू.व्य.)
राजस्व परिषद।

पं०-व०/-डी०-128/दि०-07-05-19 (29)

संख्या-302/XVIII(1)/2019-07(6)/2019

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

DRCLLS
7/5/19

सेवा में,

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 07 मई, 2019

विषयः- आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए "आय आगणन मानक" का निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आय एवं सम्पत्ति सम्बन्धी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** के आधार पर राजस्व विभाग के स्तर से आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु **"आय आगणन मानकों"** का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः-

(1) **परिवार की अवधारणः-** परिवार की आय का आगणन करने हेतु परिवार में पति-पत्नी, अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संताने तथा आश्रित माता-पिता को सम्मिलित किया जायेगा। यहां आश्रित का तात्पर्य परिवार के उन सदस्यों से है, जिनकी स्वयं की कोई आय न हो और जो परिवार के साथ रहते हों। आय का आगणन करने के लिए परिवार की समस्त स्रोतों से कुल आय को संज्ञान में लिया जायेगा। परिवार के मुखिया की आय एवं परिवार की अन्य सदस्यों की आय को जोड़ते हुए परिवार की कुल आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(2) **आय का आगणनः-**

असंगठित क्षेत्र के मजदूर- असंगठित क्षेत्र के मजदूर होने की दशा में आय की गणना यह मानते हुए कि उक्त द्वारा पूरे वर्ष भर 100 दिन कार्य किया, जबकि मजदूरी की दरों का निर्धारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर ₹ 182.00 प्रतिदिन अथवा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय, की दर से वर्ष में 100 दिन की वार्षिक मजदूरी ₹ 18200.00 आगणित की जायेगी।

अर्थात किसी असंगठित क्षेत्र के मजदूर द्वारा वर्ष भर 100 दिन कार्य किया, जिनकी मजदूरी का निर्धारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों यथा वर्तमान में ₹ 182.00 हो तो उसकी वाषिक आय 100×182.00=18200 आगणित की जायेगी।

(3) **कृषि से आयः-** व्यक्ति के कृषक होने की दशा में उसके पास उपलब्ध कृषि भूमि (है0 में) X प्रति है0 औसत उत्पादन-औसत लागत=वास्तविक आय के आधार पर आय का आगणन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति सरकारी, अर्द्ध सरकारी या प्राईवेट नौकरी कर रहा है तो सेवायोजन से प्राप्त वार्षिक आय को सम्मिलित करते हुए आय का आगणन किया जायेगा।

नोट- कृषि भूमि से आय का निर्धारण करते हुए समस्त जिलाधिकारी अपने जनपद की कृषि भूमि के सिंचित, असिंचित एक फसली, दो फसली एवं बहु फसली के आधार पर औसत उत्पादन से, औसत लागत को घटाते हुए, मानकीकृत करेंगे। मानकीकरण का यह कार्य जिलाधिकारी द्वारा प्रति दो वर्ष में एक बार अवश्य किया जायेगा।

(4) **पेंशनः-** व्यक्ति की आय का स्रोत पेंशन की दशा में-

(क) सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पेंशन से वार्णिक आय का आगणन किया जायेगा।

(ख) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (विधवा, वृद्धा, विकलांग) एवं अन्य प्रकार के पेंशन से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर आय का आगणन किया जायेगा तथा परित्यक्ता की दशा में उसको प्राप्त होने वाले भरण-पोषण भत्ता के आधार पर एवं ऐसा न होने पर उसकी आय का आगणन अकुशल मजदूर की आय के अनुसार किया जायेगा।

निशान्त 8/5/19

(5) सेवायोजनः– यदि व्यक्ति या उसके परिवार की आय का स्रोत सरकारी, अद्धसरकारी, निजी संस्थाओं में सेवायोजन है तो आय का आगणन प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक परिलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। इसके प्रमाण स्वरूप आयकर विवरणी (ITR) वेतन पर्ची, वेतन पर्ची न होने की दशा में नियोक्ता से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(6) निजी व्यवसायः–

(1) डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मध्यम एवं बड़े व्यवसाय होने की दशा में उनके द्वारा व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी (ITR) के आधार पर वार्षिक आय का आंकलन किया जायेगा।

(2) डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मध्यम एवं बड़े व्यवसाय होने की दशा में यदि आयकरदाता नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा स्वघोषणा प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय के आधार पर सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त कुल वार्षिक आय का आगणन किया जायेगा।

(3) निजी व्यवसायों के भवन या दुकान किराये से अर्जित वार्षिक आय (Annual Rental Value) का आंकलन भी आय में सम्मिलित किया जायेगा।

(7) अन्य स्रोत से आयः– इस श्रेणी के अन्तर्गत वे व्यक्ति आयेंगे जो उपर्युक्त प्रस्तरों में उल्लिखित नहीं हैं। इस श्रेणी के व्यक्ति के परिवार की आय के साथ–साथ उपर्युक्त प्रस्तरों, जिनसे आच्छादित हैं, वह भी आगणित की जायेगी।

उपरोक्त नियत मानक से कम या अधिक आय होने की दशा में:– शिकायत प्राप्त होने अथवा स्वप्रेरणा से सन्देह होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के स्तर से स्थलीय जांच करायी जायेगी, जिसमें आवेदक के व्यवसाय की श्रेणी न्यूनतम निर्धारित मानक से कम या अधिक पाई जाने की दशा में जांच अधिकारी द्वारा उन कारणों/तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आख्या/प्रमाण भी प्रस्तुत किया जायेगा तथा अंकित की गयी आय के प्रमाण स्वरूप सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

निर्गत किये गये आय प्रमाण पत्र के विरूद्ध अपीलः– तहसीलदार द्वारा निर्गत आदेश/आय प्रमाण पत्र में अंकित की गयी आय से आवेदक के क्षुब्ध होने की दशा में प्रथम अपील सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी एवं द्वितीय अपील जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

नोटः–आय एवं सम्पत्ति का विवरण स्वघोषणा प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप पर आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने पर उक्त तथ्यों की सत्यता के परीक्षणोपरान्त ही आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

अप्राप्त

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– (1)/XVIII(1)/2019-07(6)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, अपर सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम प्रकाश आर्य)
अनु सचिव

स्व घोषणा प्रमाण पत्र

स्व प्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. माता का नाम.....
4. वर्तमान पता अथवा स्थायी पता
   मकान नं0.....मोहल्ला/ग्राम.....तहसील.....जिला.....
   मोबाईल नं0.....ई–मेल.....
5. व्यवसाय.....
6. परिवार की आय का आगणन करने हेतु परिवार में पति–पत्नी अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संताने तथा आश्रित माता–पिता को सम्मिलित किया जायेगा। इसमें आश्रित का तात्पर्य जिनकी स्वयं की कोई आय न हो और परिवार के साथ रहते हों। आय का आगणन करने के लिए परिवार की समस्त आय को संज्ञान में लिया जायेगा। परिवार की मुख्या की आय और परिवार के अन्य सदस्यों की आय को जोड़ते हुए परिवार की कुल आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

6.1 परिवार का विवरण

क0 सं0	परिवार के सदस्यों का नाम	व्यवसाय	व्यवसाय से आय (वार्षिक)	परिवार की कुल वार्षिक आय (रूपये में)

7. आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां (निम्न में से लागू हो उन पर सही का चिन्ह लगाये)
7.1 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु आय रू0.....
7.2 कृषि भूमि का विवरण.....ग्राम.....क्षेत्रफल(है0)में.....आय रू0 में.....
7.3 पेंशन से वार्षिक आय रू0.....
7.4 सेवायोजन से वार्षिक आय रू0 ..... (वेतन पर्ची/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
7.5 निजी व्यवसाय (डॉ0 वकील, आर्किटेक्ट, चार्टड एकाउन्टेंट, मध्यम एवं बडे व्यवसाय) से वार्षिक आय रू0.....
7.6 दुकान का वार्षिक किराया मूल्य, व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी की कुल धनराशि रू0 .....
7.7 वार्षिक आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) के अनुसार वार्षिक आय रू0.....
7.8 अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रू0.....
8. परिवार की कुल वार्षिक आय.....
9. क्या पूर्व में प्रमाण पत्र जारी हुआ है हाँ/नहीं
9.1 यदि हाँ तो उसका कमांक.....दिनांक.....आय.....
10. आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है हाँ/नहीं
11. संलग्नक (आय के संबंध में साक्ष्य संलग्न करें)

घोषणा

मैं .....घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सही है व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है और मेरे व मेरे परिवार द्वारा जिस श्रेणी/स्रोत से आय अर्जित की जा रही है, उसका उल्लेख कर दिया गया है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। यदि उपरोक्त सूचनाओं में से कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो इसके लिए मेरे विरूद्ध प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

आवेदक के सदिनांक हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोगार्थ

आवेदनकर्ता के प्रार्थना पत्र पर दर्ज किया गया कमांक.....

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
आय प्रमाण–पत्र
(वैधता–केवल 01 वर्ष के लिये)

जिला : .....
तहसील :.....

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.....
पुत्र / पुत्री / पत्नी.....
माता का नाम.....
निवासी ग्राम / नगर निकाय क्षेत्र.....
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

की सभी स्रोतों से पारिवारिक मासिक आय अंकों में ₹ .....(शब्दों में) .....
..... मात्र रूपये हैं।

उक्त पारिवारिक मासिक आय शासनादेश संख्या 302 / XVIII / 2019–07(6) / 2019 दिनांक 07 मई 2019 में परिभाषित पारिवार की अवधारणा एवं आय के आँगणन के आधार पर आंगणित की गई है।

यह प्रमाण पत्र राजस्व निरीक्षक / राजस्व उप निरीक्षक..... की जांच आख्या के आधार पर निर्गत किया गया।

तहसीलदार,

स्व घोषणा प्रमाण पत्र

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. वर्तमान पता अथवा स्थायी पता
   मकान नं0.....मोहल्ला/ग्राम.....तहसील.....जिला.....
5. व्यवसाय.....
6. आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां (निम्न में से जो लागू हो उन पर सही का चिन्ह लगाये)

स्व प्रमाणित फोटो

6.1 असंगठित क्षेत्र का मजदूरों हेतु आय रू0.....
6.2 कृषि भूमि का विवरण.....ग्राम.....क्षेत्रफल(है0)में.....आय रू0 में.....
6.3 पेंशन से वार्षिक आय रू0.....
6.4 सेवायोजन से वार्षिक आय रू0..... (वेतन पर्ची/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
6.5 निजी व्यवसाय (डॉ0 वकील, आर्किटेक्ट, चार्टड एकाउन्टेंट, मध्यम एवं बड़े व्यवसाय) से वार्षिक आय रू0
6.6 दुकान का वार्षिक किराया मूल्य, व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी की कुल धनराशि रू0 .....
6.7 वार्षिक आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) के अनुसार वार्षिक आय रू0 .....
6.8 अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रू0.....

7. परिवार के अन्य सदस्यों की आय का विवरण

7.1 परिवार की आय का आगणन करने हेतु परिवार में पति–पत्नी अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संताने तथा आश्रित माता–पिता को सम्मिलित किया जायेगा। इसमें आश्रित का तात्पर्य जिनकी स्वयं की कोई आय न हो और परिवार के साथ रहते हों। आय का आगणन करने के लिए परिवार की समस्त आय को संज्ञान में लिया जायेगा। परिवार की मुखिया की आय और परिवार के अन्य सदस्यों की आय को जोड़ते हुए परिवार की कुल आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

7.2 परिवार का विवरण

क0 सं0	परिवार के सदस्यों का नाम	व्यवसाय	व्यवसाय से आय (वार्षिक)	परिवार की कुल वार्षिक आय (रूपये में)

7.3 परिवार की कुल वार्षिक आय रू0.....
7.4 क्या पूर्व में प्रमाण पत्र जारी हुआ है हॉ/नहीं
7.5 यदि हॉ तो उसका कमांक.....दिनांक.....आय.....
7.6 आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है हॉ/नहीं
7.7 संलग्नक (आय के सम्बन्ध में साक्ष्य संलग्न करें)

घोषणा

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाये सही है व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है और मेरे व मेरे परिवार द्वारा जिस श्रेणी/स्रोत से आय अर्जित की जा रही है, उसका उल्लेख कर दिया गया है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। यदि उपरोक्त सूचनाओं में से कोई भी तथ्य गलत पाया गया है तो इसके लिए मेरें विरूद्ध प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

आवेदक के सदिनांक हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोगार्थ

12. आवेदनकर्ता के प्रार्थना पत्र पर दर्ज किया गया कमांक.....

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
आय प्रमाण–पत्र
(वैधता–केवल 01 वर्ष के लिये)

जिला : .....
तहसील :.....

आवेदन पत्र संख्या :
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.....
पुत्र / पुत्री / पत्नी.....
माता का नाम.....
निवासी ग्राम / नगर निकाय क्षेत्र.....
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

की सभी स्रोतों से मासिक आय अंकों में ₹ .....(शब्दों में) .....
मात्र रूपये हैं।
यह प्रमाण पत्र राजस्व निरीक्षक / राजस्व उप निरीक्षक..... की जांच आख्या के आधार पर निर्गत किया गया।

तहसीलदार,

स्व घोषणा प्रमाण पत्र

1. आवेदक का नाम..
2. पिता/पति का नाम..
3. माता का नाम..
4. वर्तमान पता अथवा स्थायी पता

स्व प्रमाणित फोटो

मकान नं0....................मोहल्ला/ग्राम....................................तहसील..........................जिला..........................

मोबाईल नं0..........................ई–मेल......................................

5. व्यवसाय..........................
6. परिवार की आय का आगणन करने हेतु परिवार में पति–पत्नी अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संताने तथा आश्रित माता–पिता को सम्मिलित किया जायेगा। इसमे आश्रित का तात्पर्य जिनकी स्वयं की कोई आय न हो और परिवार के साथ रहते हों। आय का आगणन करने के लिए परिवार की समस्त आय को संज्ञान में लिया जायेगा। परिवार की मुखिया की आय और परिवार के अन्य सदस्यों की आय को जोड़ते हुए परिवार की कुल आय के आधार पर आय प्रमाण पत्रं निर्गत किया जायेगा।

6.1 परिवार का विवरण

क्र0 सं0	परिवार के सदस्यों का नाम	व्यवसाय	व्यवसाय से आय (वार्षिक)	परिवार की कुल वार्षिक आय (रूपये में)

7. आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां (निम्न में से जो लागू हो उन पर सही का चिन्ह लगायें)

7.1 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु आय रू0..........................

7.2 कृषि भूमि का विवरण....................ग्राम..........................क्षेत्रफल(है0)में....................आय रू0 में....................

7.3 पेंशन से वार्षिक आय रू0..........................

7.4 सेवायोजन से वार्षिक आय रू0.................... (वेतन पर्ची/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

7.5 निजी व्यवसाय (डॉ0 वकील, आर्किटेक्ट, चार्टड एकाउन्टेंट, मध्यम एवं बड़े व्यवसाय) से वार्षिक आय रू0..........

7.6 दुकान का वार्षिक किराया मूल्य, व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी की कुल धनराशि रू0..........

7.7 वार्षिक आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) के अनुसार वार्षिक आय रू0..........................

7.8 अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रू0..........................

8. परिवार की कुल वार्षिक आय..........................
9. क्या पूर्व में प्रमाण पत्र जारी हुआ है हाँ/नहीं

9.1 यदि हाँ तो उसका क्रमांक....................दिनांक....................आय....................

10. आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है हाँ/नहीं
11. संलग्नक (आय के सम्बन्ध में साक्ष्य संलग्न करें)

घोषणा

मैं..घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सही हैं जो मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है और मेरे व मेरे परिवार द्वारा जिस श्रेणी/स्रोत से आय अर्जित की जा रही है, उसका उल्लेख कर दिया गया है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। यदि उपरोक्त सूचनाओं में से कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो इसके लिए मेरे विरूद्ध प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

आवेदक के सदिनांक हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोगार्थ

12. आवेदनकर्ता के प्रार्थना पत्र पर दर्ज किया गया क्रमांक..........................

Tippani

Delete End Page Down Home PgUp